"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 210] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2002—भाद्र 1, शक 1924

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2002

आदेश

क्रमांक 782/परिवहन/2002.—यत: छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्रमांक 22 सन् 2002) दिनांक 23-4-2002 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है. अत: इसे उक्त तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जाये.

और चूंकि क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों द्वारा यह सूचित किया गया है कि एक मास के भाग की गणना के लिए वे अत्यंत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं क्योंकि कर की राशि कम से कम तिमाही के लिए निर्धारित तथा वसूल की जाती है;

और चूंकि छत्तीसगढ़ शासन की राय है कि इस आदेश के कारण राजस्व की हानि उद्भूत नहीं हो रही है क्योंकि अधिकांश प्रकरणों में संशोधित दरें कम हैं;

अतएव, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, तारीख 1 मई, 2002 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको पुनरीक्षित दरों पर, जैसा कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्रमांक 22 सन् 2002) में उल्लिखित है, कर का उद्ग्रहण किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2002

क्रमांक 782/परिवहन/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 23-8-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

Raipur, the 23rd August 2002

ORDER

No. 782/Transport/2002.—Whereas the Chhattisgarh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (No. 22 of 2002) has been published in the Chhattisgarh Gazette dated 23-4-2002. So it is deemed to have come into force from the said date.

And whereas it is informed by the officers working in the field, that they are facing lot of difficulties in counting the amount of tax for fraction of a month in as much as the tax is assessed and recovered atleast quarterly:

And whereas the Government of Chhattisgarh is of opinion that no loss of revenue is going to accrue on account of this order because the amended rates are in many cases at all lower side;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, appoints the date as 1-5-2002 for the purpose of levy of tax at the revised rates as mentioned in the Chhattisgarh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (No. 22 of 2002).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. VIJ, Special Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.